न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल , जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – सुनिता मीणा R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 24 / 2025 दायर तारीख :– 24.03.2025

1. मन्ना पुत्र रतना
2. मोहन पुत्र नोपाराम
3. रामेश्वरलाल पुत्र नोपाराम
4. श्रवणलाल पुत्र नोपाराम
5. बनवारी पुत्र नोपाराम

समस्त जाति जाट निवासी लालासर तह0 कि0 रेनवाल जिला जयपुर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कि0 रेनवाल जिला जयपुर राज0
2. गोगराज
3. छीतर
4. धूडाराम
5. नाथूराम
6. मालीदेवी
7. श्याणी देवी
8. कालूराम

पुत्रान / पुत्रीया स्व0 बोदूराम जाति जाट निवासी लालासर तहसील कि0 रेनवाल

9. मुरलीधर
10. जवाहरमल
11. गोपाल मल
12. सरदार
13. मेवाराम
14. गिरधारी
15. शिशपाल

अप्रार्थीगण

उपस्थित : श्री जयंत चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री शंकरलाल काजला अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2,3,4,5,8,9,10,11,12,14
राज पेरोकार
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0ऐक्ट

निर्णय

निर्णय दिनांक : 30/5/25

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 937 / 203 रकबा 4.5650 हैक्टैयर व खसरा नम्बर 934 / 119 रकबा 1.9442 हैक्टैयर वाके ग्राम लालासर तह0 कि0 रेनवाल में स्थित है। जिसका प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी में अंकित है। इस प्रकार उक्त आराजी अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त काश्त व खातेदारी की आराजी है जिस पर काबिज होकर प्रार्थीगण उक्त आराजी का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण की आराजी के नजदीक में अप्रार्थी संख्या 2 ल0 8व अप्रार्थीगण संख्या 09 ल0 15 आराजी खसरा नम्बर 935 / 119 व खसरा नम्बर 936 / 203 , 938 / 203

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

की आराजी है अप्रार्थीगण 2 ल0 15 जो कि प्रार्थीगण की आराजीयात के नजदीकी खातेदार होने से आयेदिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न कर झगडा फंसाद पर आमदा कर रहे हे। तथा आराजी की सीमा सम्बन्धित अनावश्यक विवाद उत्पन्न कर रखा है। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 934/119,937/203 वाके ग्राम लालासर तह0 कि0 रेनवाल जिला जयपुर राज0 की सीमा ज्ञान करवाने हेतु नियमुनसार अप्रार्थी संख्या 1के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अप्रार्थी ने हलका जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 के आदेश क्रमांक भू0अ0 /2022 दिनांक 10.11.22 को प्रार्थी की आराजी का सीमाज्ञान करने का आदेश प्रदान किया जिस पर हल्का पटवारी ने दिनांक 13.12.22 को मौके पर जाकर प्रार्थी की आराजी का सीमाज्ञान कर रिपोर्ट तैयार की । हल्का पटवारी ने प्रार्थीगण की उक्त आराजी का कर उपरोक्त रिपोर्ट तैयार कर अप्रार्थी संख्या 1 के कार्यालय में प्रस्तुत की जिसके प्श्चात भी प्रार्थी की आरजाी का सीमाक सम्बन्धित विवाद उत्पन्न हो रखा है इस कारण प्रार्थीगण मुताबिक फर्द रिपोर्ट हल्का पटवारी दिनांक 13.12.22 के अनुसार प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजी के पत्थरगढी करवाकर उसके आधार पर तारबंदी करवाना चाहते है जिससे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो सके और सीमा संबंधी कोई विवाद भविष्य उत्पन्न नहीं हो इस सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी 1 के समक्ष जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया जिस पर अप्रार्थी ने सक्षम न्यायालय से आदेश लाने हेतु कहा जिस पर अप्रार्थी के कार्यालय से सीमाज्ञान की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की व अपनी उक्त आराजी की पत्थरगढी करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजिका किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 फार्मल पार्टी है। अप्रार्थी संख्या 2,3,4,5,8,910,11,12,14 की ओर से वकील शंकरलाल काजला ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिसमें अंकित किया कि अप्रार्थीगण का सीमा संबंधी कोई विवाद नहीं किया है। अप्रार्थीगण संख्या 2 ल0 15 अपनी आराजी खसरा नम्बर 935/119 , खसरा नम्बर 936/203 , खसरा नम्बर 938/203 का सीमाज्ञान करवा कर पत्थरगढी करवाना चाहते है। और सीमाज्ञान करवाने के लिए तहसीलदार कि0 रेनवाल के समक्ष आवेदन भी कर दिया है। अपने जवाब के मद नम्बर 5 में अकित किया है कि अप्रार्थीग्ण को दिनांक 13.12.2022 को बिना सूचना दिये ही अगर सीमाज्ञान किया हो तो विधि विरूद्ध होने के कारण व मियाद बाहर होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। यादि प्रार्थीगण नये सिरे से सीमाज्ञान करवा कर अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 935/119, खसरा नम्बर 936/203, 938/203 का सीमाज्ञान होने के पश्चात अप्रार्थीगण की उक्त आराजीयात की पत्थरगढी करवाने हेतु सहमत हो तो अप्रार्थीगण की भी पत्थरगऐी कर दी जाती है। तो अप्रार्थीगण को कोई एतराज नही है।
3. प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में , नकल जमाबन्दी व की फर्द मौका सीमाज्ञान की प्रमाणित फोटो प्रति ।
4. बहस वकील उभय पक्षकारान् की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया तथा मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किया। जिस पर वकील अप्रार्थी के द्वारा प्रार्थी वकील के कथनो के विरोध किया व कहा सीमा ज्ञान की बिना पडोसी खातेदारों के सूचना दिये किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।
5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। प्रार्थी ने अपनी आराजी की

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

पत्थर गढ़ी बाबत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तथा अप्रार्थीगण के द्वारा भी अपनी आराजी का सीमाज्ञान करवा कर पत्थरगढी हेतु निवेदन किया है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 भू0राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाता है । प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 934/119, 937/203 अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 935/119, 936/203, 938/203 वाके ग्राम लालासर पटवार हल्का लालासर भू0अ0नि0 बाघावास में सभी पक्षकारान् व पुलिस इमदाद की उपस्थिति में उपरोक्त विवादग्रस्त आराजीयात के पुनः सीमाज्ञान कर पत्थरगढी की कार्यवाही करे। तहसीलदार किशनगढ रेनवाल को उक्त निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30/5/25 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुनिता मीणा) RAS
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल